न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/49

भुवाना आयु 62 वर्ष आत्मज श्री मोटा जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. दुर्गाशंकर आयु 52 वर्ष आत्मज स्व0 दीपा जाति माली निवासी हिण्डोली ।
2. प्रकाश आयु 26 वर्ष आत्मज श्री दुर्गाशंकर जाति माली निवासी हिण्डोली ।
3. रामपाल आयु 34 वर्ष माता जगन्नाथी पत्नी सोहन लाल जाति माली निवासी हिण्डोली ।
4. जितेन्द्र आयु 31 वर्ष माता जगन्नाथी पत्नी सोहन लाल जाति माली निवासी हिण्डोली ।
5. कन्हैया लाल आयु 29 वर्ष माता जगन्नाथी पत्नी सोहन लाल जाति माली निवासी हिण्डोली ।
6. हेमन्त आयु 27 वर्ष माता जगन्नाथी पत्नी सोहन लाल जाति माली निवासी हिण्डोली ।
7. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद बाबत् बेदखली भूमि व कब्जा प्राप्ति हेतु ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की कुल 06 किता की रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि में वादी का हिस्सा 2/3 तथा जगन्नाथी पत्नी सोहन लाल का हिस्सा 1/3 दर्ज है । वादग्रस्त आराजी का मौके पर पक्षकारान ने आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है और वे अपने –अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं । प्रतिवादी कम 1 व 2 आपस में पिता पुत्र है तथा लडाकू किस्म के व्यक्ति है आये दिन दूसरों की भूमियों पर कब्जा करते रहते हैं । प्रतिवादी कम 1 व 2 ने वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करके हांक दिया और कब्जा कर लिया जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि खसरा नम्बर 3497/5984 रकबा 09 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 3811 रकबा 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम हिण्डोली पर से प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को संभलाया जावे इस हेतु प्रतिवादी क्रम 7 को आदेशित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं दिनांक 29.06.2017 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सीपीसी की पालना किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है । लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 29.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हुई इसलिए समय पर अपील पेश नहीं की जा सकी थी । उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 07.01.2017 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी शामलाती खाते की भूमि हैं जिनका अभी विभाजन नहीं हुआ है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । लोक अदालत में समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । पक्षकारान के द्वारा किसी प्रकार का राजीनामा नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तनकीयात कायमी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान में से वादी भुवाना की उपस्थिति दर्ज की गई है । शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया है ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए, सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा